न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 128/2021
GCMS NO. : 2021/219

–: प्रार्थी :–

1. आसूराम पुत्र कुनाराम जाति रेगर, निवासी रेगरों का छोटा बास जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. रतनाराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी, निवासी लौटोती, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
2. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजीयन अधिकारी, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायम करने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–06/08/2021

उपस्थितः–
1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री अरूणसिंह राठौड, श्री रामस्वरूप चौधरी, अप्रार्थी संख्या 01

–:: निर्णय ::–

दिनॉक :–06/02/2024

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् रास्ता कायम करने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 52 खसरा नम्बर 11 रकबा 1.4488 हैक्टेयर (8 बीघा 19 बिस्वा) किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है, जिसमें प्रार्थी की भूमि को हरे रंग से दर्शाया गया है, जो नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को प्रार्थना–पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 655 खसरा नम्बर 26/4 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर आई हुई है, जो कृषि भूमि जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सड़क के चिपते ही स्थित है। प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि व मुख्य सड़क जैतारण–निम्बोल के बीच अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि है, अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि में कृषि कार्य में खड़ाई, बुवाई, कटाई, लटाई तथा ट्रैक्टर, मवेशी आदि के लिये अपने खेत में जाने हेतु खसरा नम्बर 26/4 सरहद मौजा–जैतारण कृषि भूमि के उत्तर दिशा में, जो प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में है, भुजा के पास स्थित पगडण्डी/रास्ते से अपने कब्जा काश्त खातेदारी खेत में बिना रोकटोक के वर्षों से आते–जाते है, जिस रास्ते का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से बिन्दु ए,बी,सी,डी से प्रार्थी इसी रास्ते का वर्षों से उपयोग–उपभोग करते आ रहा है तथा प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि में जाने का यह एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिये उक्त रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-(ब्यावर)

कायम करने हेतु विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना-पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी स्वयं प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये रास्ते से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आते-जाते रहे है तथा बैलगाड़ी, ट्रेक्टर से अपने खातेदारी कृषि भूमि की बुवाई, कटाई आदि बिना किसी रोकटोक के करते रहे है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 बार-बार बाधा उत्पन्न करता है। अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ कांटे डाल देता है तथा वर्तमान में तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ चार दीवारी व तारबन्दी करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ चार दीवारी व तारबन्दी कर देता है तो प्रार्थी को अपनी कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि में आने-जाने में भारी कठिनाई पैदा होगी तथा प्रार्थी का अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में आने-जाने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। प्रार्थी अपने खेत में बुवाई हेतु ट्रैक्टर को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि से होकर ले जाने लगे तो अप्रार्थी संख्या 1 ने साफ मना कर दिया, प्रार्थी द्वारा बार-बार निवेदन करने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ट्रैक्टर को नहीं ले जाने दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि हम संख्या बल में अधिक है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि हम इस रास्ते को हमेशा-हमेशा के लिए बन्द कर देगें। दिनॉंक 25.07.2021 को प्रार्थी जैतारण से निम्बोल जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग से अपनी कृषि भूमि खेत में जाने लगा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का रास्ता रोक दिया, तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि हम रास्ते के बराबर जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है या उक्त रास्ता की कीमत देने के लिए तैयार है और आप इस रास्ते को मत रोको तथा रास्ता खोल दो, लेकिन अप्रार्थी 1 ओर ज्वादा उग्र हो गया और प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि इस रास्ते से होकर यदि तुम लोग आओगे तो मैं तुम्हारें खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके फौजदारी मुकदमों में फंसा दूंगा। प्रार्थी संख्या बल में कम है तथा अप्रार्थी संख्या 1 संख्या व शक्ति में ज्यादा है, जो कभी भी प्रार्थी के साथ लड़ाई-झगड़ा कर उसे असीम क्षति पहुँचा सकते है। इसिलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने नजरी नक्शे में स्थित पगडण्डी व रास्ते को खुलवाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि खेत में जैतारण से निम्बोल जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग से खसरा नम्बर 26/4 सरहद मौजा-जैतारण के उत्तर दिशा में स्थित पगडण्डी/रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 सरहद मौजा-जैतारण में आने-जाने का एकमात्र रास्ता नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया भाग ए बी सी डी है, जिसकी लम्बाई लगभग 20 फीट व चौड़ाई लगभग 30 फीट की है, जो प्रार्थी बिना किसी रोकटोक के रास्ते के रूप में काम में ले रहे है तथा प्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये रास्ते में अप्रार्थी संख्या 1 चार दीवारी व तारबन्दी नहीं करें व अगर चार दीवारी व तारबन्दी [illegible] तो वह चार दीवारी व तारबन्दी हटवाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 26/4 सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर से आने-जाने, खेत की बुवाई, खड़ाई, कटाई आदि हेतु ट्रैक्टर व बैलगाड़ी लाने व ले जाने से तथा मवेशी लाने व ले जाने से अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-(ब्यावर)

कोई रोकटोक व बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये रास्ते 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' को राजस्व रेकर्ड में तथा नक्शा ट्रेश में रास्ता दर्ज किया जावें तथा अन्य कोई अनुतोष हो तो प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हुआ, जो शा.मि. है। तहसीलदार, जैतारण एवं भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई, जो शा.मि. है।

अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि प्रार्थी ने गलत झूठे बेबुनियाद कथन अंकित किये है तथा नजरी नक्शा भी मनगढन्त एवं गलत बनाया है। प्रार्थी ने अपनी भूमि जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सड़क पर चिपते ही स्थित होना बताया है जो पूर्णतया एवं मिथ्या कथन है। प्रार्थी की जमीन जैतारण निम्बोल मुख्य सडक पर नहीं है बल्कि जबाब देहन्दा की कृषि भूमि जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है, जो मुख्य सड़क की सीमा छोडकर स्थित है। जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से प्रार्थी ने जो आने जाने का रास्ता बताया है वह बिल्कुल गलत एवं बेबुनियाद है। जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कभी नहीं गया है न ही कभी पगडंडी के रूप मे इस्तेमाल किया है। प्रार्थी आसुराम अपनी कृषि भूमि को कीमती बनाने एवं उसे आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये एवं रास्ते से सीधा मिलान करने के लिये जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से रास्ता चाहता है, जो रास्ता कभी पूर्व में कायम रहा ही नहीं है। उसे अब कायम करवाना चाहता है। जबाब देहन्दा की कृषि भूमि जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सडक हाईवे पर स्थित है जिसकी बाजारू कीमत लाखों करोडों में है। जिसमें प्रार्थी आसूराम नुकसान कारित करना चाहता है तथा जबरन रास्ता कायम करने पर उतारू है तथा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग कर रहा है एवं श्रीमान् के समक्ष यह मिथ्या प्रार्थनापत्र पेश किया है।

प्रार्थी ने जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से जो रास्ता बताया है वह रास्ता मौके पर कायम है ही नहीं, प्रार्थी ने झूठे कथन किये है तथा अन्य सभी कथन गलत झूठे होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। प्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिये विकल्पेन और भी कई रास्ते है जिसमें से वह अपनी पीढ़ियों से अपनी आराजी में आने जाने हेतु उपयोग-उपभोग करता है। परन्तु अपनी कृषि भूमि की बाजारू कीमत बढाने के लिये एवं जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से जबरन रास्ता कायम करवाना चाहता है, जो बिल्कुल विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने उक्त कथन कि जबाब देहन्दा हमेशा हमेशा के लिये रास्ता बंद कर देंगे बिल्कुल ही गलत लिखवाया है। जबाब देहन्दा की कृषि भूमि से प्रार्थी आसूराम की आराजी में कोई रास्ता था ही नहीं तो बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में जबरन रास्ता कायम करवाना चाहता है। प्रार्थी को जबाब देहन्दा ने कभी भी कोई धमकीयां नहीं दी। प्रार्थी ने जबाब देह[illegible] अपनी कृषि भूमि में से आने जाने हेतु नहीं कहा, मात्र प्रार्थनापत्र [illegible] से झूठ एवं काल्पनिक दिनाँक अंकित की है तथा कभी भी प्रार्थी [illegible] रास्ते की ज[illegible] के बदले जमीन या कीमत देने के लिये कभी जबाब देहन्दा को नहीं कहा। प्रार्थी स्व[illegible] जब उक्त कृषि भूमि में से पगडंडी होना बताते है तो उस रास्ते की भूमि 30 फिट चौडी एवं लम्बाई 20 फिट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु हाईवे से रास्ता पाकर अपनी कृषिभूमि को कीमती बनाना चाहता है। इसलिए विकल्पेन यदि रास्ता दिया भी जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-(ब्यावर)

तो जबाब देहन्दा को प्रार्थी से रास्ते की कृषि भूमि के बदले चार गुणा कृषि भूमि दिलवाया जाना न्यायौचित एवं न्यायसंगत है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने गलत झूठे, बेबुनियाद एवं कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर आधारहीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है तथा अपनी कषि भूमि को कीमती बनाने के उदेश्य से जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से रास्ता कायम करवाना चाहता है, जो बिल्कुल मिथ्या है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।

तहसीलदार, जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/837 दिनांक 05/08/2022 द्वारा चाही गई थी। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण की मौका फर्द आदेश क्रमांक/भु0अ0/23/244 दिनांक 13.01.2023 को पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी तक पहुँचने के लिए वर्तमान में अन्य कोई विकल्प नहीं है। ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 26/4 में से 50 मीटर लम्बाई व 03 मीटर चौडाई कुल 150 वर्गमीटर रास्ते का क्षेत्रफल है, जो निरीक्षक फर्द मौका में नजरी नक्शे में मार्क ए बी अंकित है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटत्तम एवं व्यवहारिक विकल्प है। प्रस्तावित रास्ता ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 27/1 व ग्राम सोमावास के खसरा नम्बर 95/1 जैतारण निम्बोल सड़क पर मिल रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता कृषि कार्य हेतु आने-जाने हेतु आवश्यक है। उक्त प्रस्तावित रास्ता जैतारण-निम्बोल सड़क पर एवं NH458 से 0-200 मीटर दूरी पर स्थित है एवं असिंचित भूमि है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निणर्यन निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में प्रार्थी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 52 खसरा नम्बर 11 रकबा 1.4488 हैक्टेयर (8 बीघा 19 बिस्वा) किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थी की खातेदारी अलग से तरमीम हो रखी है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में जाने के लिये मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में कोइ वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 655 खसरा नम्बर 26/4 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है, जो कृषि भूमि जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सड़क के चिपते ही स्थित है। प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि व मुख्य सड़क जैतारण-निम्बोल के बीच अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि है। प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिये अपने खेत में आने हेतु खसरा नम्बर 26/4 सरहद मौजा-जैतारण कृषि भूमि के उत्तर दिशा में, जो प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में है, भुजा के पास स्थित पगडण्डी/रास्ते से अपने कब्जा काश्त खातेदारी खेत में बिना रोकटोक के वर्षों से आते-जाते है। इसिलिये उक्त रास्ते को कायम करने हेतु विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला (ब्यावर)

2. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि प्रार्थी की जमीन जैतारण निम्बोल मुख्य सडक पर नहीं है बल्कि जबाब देहन्दा की कृषि भूमि जैतारण से निम्बोल जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है, जो मुख्य सड़क की सीमा छोडकर स्थित है। जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से प्रार्थी ने जो आने जाने का रास्ता बताया है वह बिल्कुल गलत एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिये विकल्पेन और भी कई रास्ते है जिसमें से वह अपनी पीढ़ियों से अपनी आराजी में आने जाने हेतु उपयोग-उपभोग करता है। परन्तु अपनी कृषि भूमि की बाजारू कीमत बढाने के लिये एवं जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से जबरन रास्ता कायम करवाना चाहता है, जो बिल्कुल विधि विरूद्ध है।

3. प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार जैतारण मय भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13/01/2023 को तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट के निवेदन किया प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 11 के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने-जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता मार्क ए बी जो कि ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 26/4 में से होकर है जिसकी लम्बाई 50 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बर 11 में आने-जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं व्यवहारीक है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर नहीं चल रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता जैतारण-निम्बोल सड़क पर एवं NH458 से 0-200 मीटर दूरी पर स्थित है एवं असिंचित भूमि है।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-

(1) जहाँ

(क)-कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)-कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(i)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(ii)- अन्य खातेदार की जोत में से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला पाली

कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुँच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 11 रकबा 1.4488 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तक पहुँच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है, जो कि पत्रावली में उपलब्ध भू–नक्शा तथा तहसीलदार, जैतारण की ओर से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुँच मार्ग की मांग नहीं की गई है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अन्य वेकल्पित मार्ग से वादग्रस्त आराजी में आवागमन किया जाता रहा है, परन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिए अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए है। तहसीलदार जैतारण द्वारा जाँच प्रतिवेदन में जैतारण के खसरा नम्बर 26/4 में से 50 मीटर लम्बाई व 03 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर रास्ते के लिए लिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम, निकटतम एवं व्यवहारिक विकल्प है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 45,77,361/– रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 457.74 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 45,77,361/– रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 27.82 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 55.64 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये देय कुल मुआवजा राशि 1,37,400/– अंकित एक लाख सैंतीस हजार चार सौ रूपये मात्र प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जाना अवधारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना उचित समझते है। आराजी के पास स्थित खसरा नम्बर 26/4 ग्राम जैतारण की उत्तर दिशा की भुजा में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला–(पाली)

से तहसीलदार, जैतारण के प्रस्तावित रास्ते मार्क ए बी जिसकी लम्बाई 50 मीटर व चौडाई 03 मीटर कुल क्षैत्रफल 150 वर्गमीटर रास्ते के लिए न्यूनतम है। अतः हम प्रस्तावित विकल्प का रास्ता दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। तहसीलदार रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में विकल्प खसरा नम्बर 26/4 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम नजरी नक्शे में ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर रास्ता दर्ज किया जाना है जिसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 1,37,400/- (अक्षरे एक लाख सैतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 को रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 11 रकबा 1.4488 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की जमीन तक पहुँच मार्ग के लिये अभिलिखित रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या 26/4 बारानी दोयम भूमि में से मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 50 मीटर लम्बा व 03 मीटर चौड़ा कुल रकबा 150 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 26/4 में से कम किया गया कुल रकबा 150 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,37,400/- (अक्षरे एक लाख सैतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 1,37,400/- रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित पक्षकार को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा तैयार दिनांक 13/01/2023 की मौका रिपोर्ट इस आदेश का एक भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:11 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 06/02/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)